# न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत – श्री शिवपाल जाट, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 2019/34

1. रामरतन
2. हंसराज पि0 जीसुखराम जाति जाट निवासीगण नथौर तहसील रानीया जिला सिरसा।

– वादीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर

–प्रतिवादी

**दावा बाबत घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती**
**अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं 136 एल आर एक्ट**

उपस्थित –

1. श्री नेतराम सियाग वकील वादी।
2. पैरोकार राज

**–:निर्णयः–**

उपखण्ड अधिकारी ★ लूनकरनसर ★

**दिनांक :– 28.08.2019**

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री नेतराम सियाग ने निवेदन किया कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम जैतपुर 'बी' तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 1296/1 में 9 बीघा, खसरा नम्बर 1313 में 21.19 बीघा कुल 30.19 बीघा बारानी भूमि वादीगण के अपने हिस्से के मुताबिक कब्जा काश्त में है एवं राजस्व रिकार्ड में उनके नाम से चली आ रही है। वादीगण ने खातेदार किशनसिंह पुत्र भूरसिंह से जरिए बैनामा खरीद की है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादी सं. 01 का नाम बूटाराम चला आ रहा है, क्योंकि वादगत भूमि वादीगण की पुरानी थी उस वक्त क्रेता का कोई दस्तावेज साथ में नहीं लगता था वादी संख्या 01 का नाम लाड प्यार से घर में

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner

बूटाराम के नाम से पुकारते थे इसलिए बैनामा में बोलता नाम बूटाराम लिखवा दिया किन्तु वास्तविक नाम रामरतन था। बूटाराम का अन्य सभी दस्तावेजों में नाम रामरतन दर्ज है। बूटाराम व रामरतन एक ही व्यक्ति के दो नाम दिए हैं। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामरतन के स्थान पर बूटाराम दर्ज होने के कारण कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है। दिनांक 15.03.2019 को वादीगण द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम बूटाराम दर्ज है किन्तु वास्तविक नाम रामरतन है तो कि बूटाराम के स्थान पर रामरतन नाम की दुरूस्ती की जावें। तहसीलदार द्वारा स्पष्ट इंकार किये जाने के उपरांत वादीगण को वाद कारण हासिल हुआ। प्रतिवादी को स्टेट ऑफ राजस्थान लेण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। दावा अर्जेंट नेचर का होने के कारण धारा 80 सीपीसी के नोटिस के अभाव में दावा संधारण योग्य है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत भूमि संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम जैतपुर 'बी' तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 1296/1 में 9 बीघा व खसरा नम्बर 1313 में 21.19 बीघा कुल तादादी 30.19 बीघा भूमि में वादी संख्या 01 का अपना नाम बूटाराम के स्थान पर रामरतन दुरूस्त किया जावे। अन्य अनुतोष जो न्याय हित में हो वादीगण को दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर समन जारी किये गये। वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित नक्ल जमाबंदी, शपथ पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत नथौर खण्ड रानिया जिला सिरसा की तस्दीक, राशनकार्ड, परिचय पत्र, बैयनामा प्रति पेश किये। प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्राप्त हुआ।

बहस उभयपक्ष सूनी गई। वादीगण के अधिवक्ता श्री नेतराम सियाग ने वाद पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम जैतपुर 'बी' तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 1296/1 में 9 बीघा, खसरा नम्बर 1313 में 21.19 बीघा कुल 30.19 बीघा बारानी भूमि वादीगण के अपने हिस्से के मुताबिक कब्जा काश्त में है एवं राजस्व रिकार्ड में उनके नाम से चली आ रही है। वादीगण ने खातेदार किशनसिंह पुत्र भूरसिंह से जरिए बैनामा खरीद की है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादी सं. 01 का नाम बूटाराम चला आ रहा है, क्योंकि

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner

वादगत भूमि वादीगण की पुरानी थी उस वक्त केता का कोई दस्तावेज साथ में नहीं लगता था वादी संख्या 01 का नाम लाड प्यार से घर में बूटाराम के नाम से पुकारते थे इसलिए बैनामा में बोलता नाम बूटाराम लिखवा दिया किन्तु वास्तविक नाम रामरतन था। बूटाराम का अन्य सभी दस्तावेजों में नाम रामरतन दर्ज है। बूटाराम व रामरतन एक ही व्यक्ति के दो नाम दिए हैं। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामरतन के स्थान पर बूटाराम दर्ज होने के कारण कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है। दिनांक 15.03.2019 को वादीगण द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम बूटाराम दर्ज है किन्तु वास्तविक नाम रामरतन है तो कि बूटाराम के स्थान पर रामरतन नाम की दुरूस्ती की जावें। तहसीलदार द्वारा स्पष्ट इंकार किये जाने के उपरांत वादीगण को वाद कारण हासिल हुआ। प्रतिवादी को स्टेट ऑफ राजस्थान लेण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। दावा अर्जेंट नेचर का होने के कारण धारा 80 सीपीसी के नोटिस के अभाव में दावा संधारण योग्य है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत भूमि संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम जैतपुर 'बी' तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 1296/1 में 9 बीघा व खसरा नम्बर 1313 में 21.19 बीघा कुल तादादी 30.19 बीघा भूमि में वादी संख्या 01 का अपना नाम बूटाराम के स्थान पर रामरतन दुरूस्त किया जावे। अन्य अनुतोष जो न्याय हित में हो वादीगण को दिलवाया जावे।

प्रतिवादी पैरोकार राज ने वादीगण के अधिवक्ता के कथनों के प्रत्युत्तर में कथन किया कि वादी संख्या 01 का नाम राजस्व रिकार्ड में बुटाराम बैनामे के आधार पर चला आ रहा है। बुटाराम के स्थान पर रामरतन न्यायिक हित में किया जाता है तो सरकार को हानि नहीं हो रही है।

हमने उभयपक्ष की बहस का मनन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व दस्तावेजों प्रमाणित नक्ल जमाबंदी, शपथ पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत नथौर खण्ड रानिया जिला सिरसा की तस्दीक, राशनकार्ड, परिचय पत्र, बैयनामा प्रति का अवलोकन किया।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner

राजपैरोकार को उक्त वादगत भूमि में नाम बूटाराम के स्थान पर रामरतन किया जाता है तो कोई आपति नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है एवं रोही मौजा ग्राम जैतपुर 'बी' तहसील लूनकरनसर की जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खसरा नम्बर 1296/1 में 9 बीघा व खसरा नम्बर 1313 में 21.19 बीघा कुल तादादी 30.19 बीघा भूमि में वादी संख्या 01 का अपना नाम बुटाराम अंकित है, के स्थान पर बुटाराम उर्फ रामरतन दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। तद्नूसार पर्चा डिक्री जारी हों। तहसीलदार लूनकरनसर को उक्त निर्णय की पालना में रिकार्ड दुरूस्त करें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/8/19

(शिवपाल जाट)

उपखण्ड अधिकारी

लूनकरणसर

Scanned by CamScanner